

नोटिस

अपरिहार्य कारणों से दिनांक 11.10.2024 को सार्वजनिक अवकाश होने कारण सुनवाई नहीं होगी, उक्त पत्रावलियों में अग्रिम तिथि दिनांक 08.01.2025 की तिथि नियत की जाती है।



आज्ञा से

मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय